दिनांक 06.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 06/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मीरजापुर/थाना जिगना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 06.05.2024 को थाना जिगना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मछहा बन्धा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त आकाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मीरजापुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जिगना पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जिगना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आकाश निवासी ढेबुहा थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद अयोध्या/थाना कुमारगंज

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 06.05.2024 को थाना कुमारगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नबाव को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना इनायतनगर जनपद अयोध्या पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कुमारगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नबाव निवासी ग्राम सम्भलहेडा थाना मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर।

जनपद कानपुर देहात/थाना रसूलाबाद

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 06.05.2024 को थाना रसूलाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रसूलाबाद ककवन रोड शहबाजपुर नहर पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शराफत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शराफत निवासी दलेलपुर थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 05 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 06.05.2024 को थाना कोतवाली शामली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर झिंझाना पुल नहर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विकास 2–राहुल घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 05 हजार 200 रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि 05.05.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास निवासी ग्राम कसेरवा कलां थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2–राहुल निवासी ग्राम कसेरवा कलां थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी

1—लूट के 05 हजार 200 रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

जनपद बिजनौर/थाना स्योहारा

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 06.05.2024 को थाना स्योहारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नरावली नहर पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिससे एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुभान उर्फ भूरा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुभान उर्फ भूरा निवासी भनेड़ा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **02 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनॉकः 06.05.2024 को थाना तितावी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बघरा बस अड्डे से 07 अभियुक्तों 1–कृष्णा उर्फ भूरे 2–नन्हे 3–इरशाद 4–04 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, 02 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना तितावी क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा चोरी/धोखाधड़ी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तितावी पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना तितावी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कृष्णा उर्फ भूरे निवासी कस्बा व थाना किच्छा जनपद उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड मूलपता–सैरों वाली डण्डिया थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

2–नन्हे निवासी कस्बा व थाना किच्छा जनपद उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड मूलपता–सैरों वाली डण्डिया थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

3–इरशाद निवासी सैरों वाली डण्डिया थाना बहेड़ी जनपद बरेली।

4–04 अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–02 हजार रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन आदि।

जनपद कानपुर देहात/थाना गजनेर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **03 जीवित, 01 खोखा, 01 मिस कारतूस**
- **09 अवैध नाल**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 06.05.2024 को थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नहर कोठी खनपना पुलिया से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त समीम उर्फ सलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 05 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 03 जीवित, 01 खोखा, 01 मिस कारतूस, 09 अवैध नाल, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद उन्नाव, कानपुर देहात, फतेहपुर, कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—समीम उर्फ सलीम निवासी ग्राम भगवन्तपुर थाना घाटमपुर, कानपुर नगर।

बरामदगी

1—05 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—03 जीवित, 01 खोखा, 01 मिस कारतूस।

3—09 अवैध नाल।

4—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद शामली/थाना झिंझाना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शामली द्वारा थाना झिंझाना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अजीत 2–संजीव कुमार 3–गजेन्द्र कुमार को आजीवन कारावास व 22–22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विशाल को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————